म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्रमांक ए–38 / रासूआ / 24 / बालाघाट / 2006

श्री संदीप कुमार मिश्रा — अपीलकर्ता
आत्मज श्री रमेश प्रसाद मिश्रा,
विधायक प्रतिनिधि (नगर पालिका)
वारासिवनी, जिला बालाघाट

विरूद्ध

1 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
वारासिवनी जिला बालाघाट (म0प्र0)

2 श्री शिवेन्द्र सिंह,
अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
जबलपुर (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 16 मार्च 2006)

श्री संदीप कुमार मिश्रा(अपीलकर्ता) ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद वारासिवनी जिला बालाघाट से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के तहत मांगी गई सूचना के न मिलने से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगी थी, यह जानकारी निर्धारित 30 दिनों में न मिलने पर उसने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस अपील में दिनांक 13.1.06 को निर्णय दिया था इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी को यह निर्देश दिए थे कि मांगी गई जानकारी उन्हें 07 दिनों में उपलब्ध कराई जाए। अपीलकर्ता का यह कहना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देशों बाद भी दिनांक 6.2.06 तक उन्हें जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए उन्होंने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2. अपीलकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी को प्रस्तुत किया था, उसकी प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उन्होंने उस अपील की प्रति प्रस्तुत की है जो उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं

विकास, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । उन्होंने केवल प्रथम अपील में जो निर्णय दिया गया था, उसकी प्रति प्रस्तुत की है ।

3. इस अपील पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद वारासिवनी जिला बालाघाट से अपील के विषय पर प्रतिवेदन मांगा गया था । इस अपील पर उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास व अपीलीय अधिकारी से भी प्रतिवेदन मांगा गया था । लोक सूचना अधिकारी का यह कथन है कि अपीलकर्ता ने दिनांक 24.10.2005 को 02 आवेदन उनके कार्यालय में दिए थे और उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगी थी । तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री एन0एस0उइके ने दोनों आवेदनों से संबंधित जानकारी अपने पत्र क0 2499 दिनांक 23.11.05 और पत्र क0 2509 दिनांक 24.11.05 के माध्यम से आवेदक को भेज दी थी जो उन्हें प्राप्त हुई है । इसलिए यह सही नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी ने समय पर जानकारी नहीं दी । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि इस जानकारी से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की है । इस अपील पर दिनांक 12.1.2006 को निर्णय दिया गया था जिसमें उन्हें 07 दिनों के अंदर जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया था । यह आदेश उन्हें दिनांक 23.1.06 को प्राप्त हुआ । लोक सूचना अधिकारी का यह भी कहना है कि उन्होंने आवेदक को जानकारी देने के लिए शुल्क जमा करने के संबंध में कई बार सूचना दी थी लेकिन आवेदक उपस्थित नहीं हुआ । उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण विधिवत् सूचना दिनांक 3420/सू0अधि/06 दिनांक 17.2.06 को प्रेषित की गई, जिसमें उन्हें शुल्क जमा करने के लिए निर्देशित किया गया । यह जानकारी उन्हें दिनांक 20.2.06 को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने शुल्क जमा नहीं किया। इस पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी ने अपने उत्तर के साथ लगाई है। इसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी ने वांछित जानकारी दिनांक 4.3.06 को, अपीलकर्ता को बिना शुल्क दिए ही भेज दी है ।

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उन्होंने लोक सूचना अधिकारी को अपील प्रकरण में 7 दिन के अन्दर जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए थे । उन्होंने अपने निर्णय व उत्तर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सुनवाई के समय श्री संदीप मिश्रा उपस्थित नहीं हुए, उनके स्थान पर डॉ0 नीरज अरोरा उपस्थित हुए थे।

5. यह प्रकरण मौखिक सुनवाई के लिए जबलपुर में दिनांक 10.3.2006 को रखा गया था । मौखिक सुनवाई के समय अपीलकर्ता श्री संदीप कुमार मिश्रा उपस्थित नहीं थे । उन्हें 11.30 बजे सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे । लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी जिला बालाघाट, उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर तथा अपीलीय अधिकारी सुनवाई के समय उपस्थित थे । उन्हें इस प्रकरण में

सुना गया । बाद में जब मैं जबलपुर के सर्किट हाउस में था, श्री संदीप कुमार मिश्रा की ओर से एक आवेदन पत्र डॉ0 नीरज अरोरा ने शाम को 4.15 बजे प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेखित किया था कि वे बीमार हैं और साथ में उन्होंने अपना ही लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है ।

6. इस प्रकरण में सुनवाई पूरी हो चुकी है इसलिए यह आवश्यक नहीं समझाा गया कि श्री संदीप कुमार मिश्रा को उपस्थिति का एक और अवसर प्रदाय किया जाए। यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री संदीप कुमार मिश्रा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष जब प्रकरण सुनवाई के लिए रखा गया था तब भी उपस्थित नहीं थे, उनके स्थान पर डॉ0 नीरज अरोरा उपस्थित हुये थे, जिन्होंने उनकी ओर से आवेदन शाम 4.15 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है और स्वयं का लिखा हुआ सर्टिफिकेट दिया है, वही उपस्थित हुए थे ।

7. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार किया गया । उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि जो जानकारी मांगी गई थी वह प्रदान कर दी है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और जो अपील उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, उसकी प्रति नहीं लगाई है जिससे यह मालूम हो सके कि उन्होंने क्या–क्या जानकारी चाही थी ? ऐसी स्थिति में इस बात की जानकारी मिलना मुश्किल है कि अपीलकर्ता को क्या जानकारी चाहिए थी और जिसके कारण असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की थी । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि उन्होंने जानकारी शुल्क जमा नहीं करने के बाद भी अपीलकर्ता को भेज दी है । ऐसी स्थिति में इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में श्री संदीप कुमार मिश्रा का आचरण संतोषजनक नहीं रहा है । उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई के लिए उपस्थिति की सूचना और सूचना आयोग द्वारा सुनवाई की सूचना दिए जाने के बाद भी उपस्थित होने का कष्ट नहीं उठाया है । उन्होंने इस कार्य के लिए, उनकी ओर से डॉ0 नीरज अरोरा उपस्थित हुए, वे भी पेशी समाप्ति के 5 घंटे बाद । डॉ0 नीरज अरोरा को उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए अभिस्वीकृति नहीं थी । प्रकरण में सनुवाई के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पहली बार प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आना पड़ा और दूसरी बार सूचना आयोग में आना पड़ा । इससे नगर पालिका के कार्य में काफी बाधा पड़ती है और व्यय भी होता है । इस प्रकार के आचरण का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है जिससे भविष्य में अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार के आचरण की पुनरावृत्ति नहीं की जा सके ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
16 मार्च 2006

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्र0 ए–32/रासूआ/24–2/उज्जैन/2006

डॉ0 रत्नेश्वर नाथ तिवारी, अपीलकर्ता
20 मक्सी रोड, कालिदास मार्ग,
फ्रीगंज,
उज्जैन (म0प्र0)

विरूद्ध

1 सहायक लोक सूचना अधिकारी
झोन क्र0 4, उप कार्यालय माधव नगर,
नगर पालिका निगम,
उज्जैन (म0प्र0)

2. अपीलीय अधिकारी एवं आयुक्त
नगर पालिका निगम,
छत्रपति शिवाजी भवन,
आगर रोड,
उज्जैन (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 10 अप्रेल 2006)

यह अपील डॉ0 रत्नेश्वर नाथ तिवारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र 20 अक्टूबर 2005 को नगर पालिका निगम उज्जैन के सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया था । इस आवेदन पत्र के साथ उन्होंने आयुक्त, नगर पालिका निगम उज्जैन को दिनांक 20 अक्टूबर 2005 और 25 अक्टूबर 2005 को जो पत्र भेजे गए थे, उनकी प्रतिलिपि लगाई थी । सहायक लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम उज्जैन को अपीलकर्ता ने जो आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, उसमें यह उल्लेखित किया था कि उन्हें इन दोनों आवेदन पत्रों में जो जानकारी मांगी है, वह दी जाए ।

2 अपीलकर्ता ने दिनांक 20 अक्टूबर 2005 के आवेदन पत्र में यह उल्लेखित किया था कि एक ही भवन क्रमांक 20, मक्सीरोड, कालीदास मार्ग (स्वामी अवतंस जैन) के एक ही दिनांक 11.8.2005 को जारी किए गए दो मानचित्रों की प्रमाणित प्रति आयुक्त नगर पालिका निगम को भेजी जा रही है इसमें लिपिक श्री भूपेन्द्र बेगड़, उपयंत्री मनोज राजवानी एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण में निलंबित पूर्व भवन

अधिकारी श्री अरूण जैन के हस्ताक्षर हैं । अपीलकर्ता ने निम्न 2 बिन्दुओं पर इस आवेदन के माध्यम से जानकारी मांगी थी :

1/ यह कि नगर पालिक निगम उज्जैन के कार्यालय से दिनांक 8.7.04 को प्राप्त प्रमाणित प्रति संलग्न क्र0 1 एवं जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन से दिनांक 31.7.04 को प्राप्त प्रमाणित प्रति 2 में से नगर पालिक निगम उज्जैन कार्यालय द्वारा स्वीकृत कर भवन क्रमांक 20 के स्वामी अवतंस जैन को जारी सही प्रति कौन सी है। कारण कि दोनों ही प्रतियों में विरोधाभास है । कारण कि प्रति क्रमांक 1 में कुछ भाग को अस्वीकृत कर काटा गया है और निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है जबकि प्रति क्रमांक 2 में उसी भाग पर निर्माण की अनुमति दर्शाई गई है ।

2/ यह कि नगर पालिका निगम के भवन अधिकारी/कर्मचारी सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं? क्या सार्वजनिक रास्ते पर किये गये निर्माण पर नगर पालिका निगम विधि अनुसार आपत्ति के बावजूद समझौता कर सकता है ।

3. इसके बाद दिनांक 25 अक्टूबर 2005 को एक दूसरा आवेदन पत्र अपीलकर्ता ने आयुक्त नगर निगम को भेजा था, जिसमें इन्हीं तीनों व्यक्तियों, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पर भ्रष्टाचवार एवं जालसाजी के आरोप एवं मक्सी रोड, कालीदास मार्ग के भवन क्र0 20 के नक्शे के संबंध में लगाये थे और उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 बी, 193, 196, 199, 200, 205, 465, 467, 468, 470, 471, 474 एवं 420 में प्रकरण पंजीबद्ध करवाने के लिए निवेदन किया था । इस कार्यवाही को करने के संबंध में अपीलकर्ता ने निम्न कारण दर्शाए थे :

1/ यह कि इस अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण की जानकारी भवन अधिकारी अरूण जैन और अन्य को 22.7.95 से है तो फिर उज्जैन नगर पालिक निगम के भवन अधिाकारी के हस्ताक्षर से युक्त दो मानचित्र 11.8.95 को क्यों और कैसे जारी हुए ? स्वाभाविक है कि दोनों में से एक कूटरचित है ।

2/ यह कि इन लोगों ने यह अपराध नगर पालिक निगम उज्जैन एवं प्रार्थी के साथ जानबूझकर किया है । अतः न्याय हित में दोषियों पर कार्यवाही आवश्यक है।

3/ यह कि भवन स्वामी अवतंस जैन, 20 मक्सी रोड पर आज तक नगर पालिका निगम उज्जैन के स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण यथावत है जो प्रमाण है इन अधिकारियों के अपराध का जो इन्होंने नगर पालिक निगम उज्जैन के साथ किया है ।

4. इस प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 3 नवम्बर 2005 को पत्र लिखकर अपीलकर्ता आवेदक से यह जानकारी चाही थी कि वह किस दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते हैं और किस दस्तावेज की प्रति चाहिए ।

इस पत्र पर अपीलकर्ता ने यह उल्लेखित किया था कि चाही गई जानकारी आवेदन के प्रारूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है । उन्होंने सहायक लोक सूचना अधिकारी को यह बताया था कि नियत अवधि में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराना और अकारण विलम्ब करना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं लोक सेवक का कदाचरण है । उन्होंने यह भी निवेदन किया था कि उनके दिनांक 28.10.2005 के आवेदन का पुनः अवलोकन किया जाए और उसके अनुसार जानकारी दी जाए । यह विवरण उल्लेखित करके अपीलकर्ता आवेदन ने मूल पत्र उसी दिनांक को सहायक लोक सूचना अधिकारी को लौटा दिया था।

5. इस पत्र के लौटाने के उपरांत अपीलकर्ता आवेदक ने एक पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेजा था, जिस पर कोई तिथि अंकित नहीं की गई थी, लेकिन यह पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को 5 नवम्बर 2005 को प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि उन्हें जो जानकारी चाहिए वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के बिन्दु क्र0 6 में चाही गई जानकारी का विवरण उल्लेखित है । उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी पर हुई सम्पूर्ण कार्यवाही, जॉच प्रतिवेदन, आदेश एवं जॉच के दौरान नगर पालिका निगम के रिकार्ड में सही पाया गया मानचित्र की प्रमाणित प्रति देने की कृपा करें ।

6. सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन पत्र पर, जिसमें मुख्य बिन्दु यह था कि मक्सी रोड, कालीदास मार्ग (स्वामी अनंतस जैन) के भवन क्र0 20 के लिए जारी किया गया कौनसा नक्शा सही है । इस पर आयुक्त नगर पालिका निगम ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि न्यायालय में निगम द्वारा जो प्रति एक्जीबिट कराई गई है, वह प्रति सही है । यह जानकारी अपीलकर्ता आवेदक को दिनांक 22.11.2005 को दी गई थी जिसे अपीलकर्ता आवेदक ने इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि यह जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है । इसी विषय पर अपीलकर्ता आवेदक को दिनांक 30.11.2005 के पत्र द्वारा जानकारी दी गयी कि माननीय न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 में 20.10.03 को जो एक्जीबिट हुआ था, उसी की न्यायालय से प्राप्त प्रतिलिपि क्रमांक 1 ही प्रमाणित है । इसके अतिरिक्त दिनांक 20.10.2005 के पत्र के दूसरे बिन्दु में जो जानकारी मांगी गयी थी, इसके संबंध में यह सूचना दी गयी थी कि सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है तथा सार्वजनिक रास्ते पर किये निर्माण पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है ।

7. अपीलकर्ता ने इस संबंध में एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, नगर पालिका निगम उज्जैन को प्रस्तुत की थी । आयुक्त नगर पालिक निगम ने इस विषय पर विस्तृत आदेश दिनांक 16 जनवरी 2006 को पारित किया । उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ता आवेदक ने जो दो आवेदन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2005 एवं 25 अक्टूबर 2005, एवं दिनांक 28.10.05 सूचना का

अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के साथ संलग्न करते हुए प्रस्तुत की थी, उसमें किसी में भी बिन्दु क्र0 6 नहीं है । उनमें एक आवेदन पत्र में 2 बिन्दु दिए गए हैं और दूसरे आवेदन पत्र में 3 बिन्दु दिए गए हैं । उन्होंने अपने आदेश में दोनों आवेदन पत्र में जो बिन्दु दिए गए हैं उसका उल्लेख किया है । जहॉ तक अपीलकर्ता आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी देने का प्रश्न है , उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण दिनांक 20.10.03 को जो नक्शा एक्जीबिट किया था और जिसकी प्रतिलिपि प्रमाणित है, वही सही नक्शा है और दूसरी बात उल्लेखित की है कि सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण अनुज्ञा नहीं दी सकती तथा सार्वजनिक रास्ते पर किए निर्माण का समझौता भी नहीं किया जा सकता है । उन्होंने यह भी उल्लेखित किया है कि यह जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई थी लेकिन उन्होंने लेने से इंकार कर दिया है इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की है और उन्होंने अपील निरस्त की है ।

8. इस प्रकरण में नगर पालिका निगम उज्जैन से अपील के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था । इस प्रकरण में मौखिक सुनवाई दिनांक 10 अप्रेल 2006 को की गई, जिसमें अपीलकर्ता स्वयं, लोक सूचना अधिकारी श्री विजय गौरव और प्रथम अपीलीय अधिकारी, आयुक्त नगर पालिका निगम, उज्जैन श्री राजेश जैन उपस्थित थे । दोनों पक्षों को सुना गया ।

9. अपीलकर्ता का यह कहना है कि उन्हें बिन्दु क्र0 6 पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए इस बिन्दु पर कार्यवाही कराने की कार्रवाई की जाए और सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाए । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बिन्दु क्र0 6, जिसके संबंध में जानकारी अपीलकर्ता ने मांगी है, वह क्या है ? उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 6(1) में जो आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2005 को प्रस्तुत किया था, उसमें कोई विवरण जिसकी सूचना प्राप्त करना थी, उसको नहीं दिया था । उन्होंने केवल 20 अक्टूबर 2005 और 25 अक्टूबर 2005 के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि दी थी, जिन पर उन्हें सूचना चाहिए थी । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इन दोनों आवेदन पत्रों में बिन्दु क्र0 6 अथवा आवेदन में कंडिका क्र0 6 नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उन्हें किस बिन्दु पर जानकारी चाहिए ।

10. मौखिक सुनवाई के समय अपीलकर्ता द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई कि उनका बिन्दु क्र0 6 क्या है ? फिर भी मैंने नगर पालिक निगम उज्जैन में अपीलकर्ता के द्वारा प्रिन्टेड आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(1) अनुसार दिया था, उसका अवलोकन किया । इस आवेदन पत्र में जो जानकारी चाही गई है, उसका क्रमांक दिया गया है, इसमें क्रमांक 6 है जिसमें चाही गई जानकारी का विवरण आवेदक को देना होता है । इसी बिन्दु क्र0 6 में अपीलकर्ता आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2005 एवं 25 अक्टूबर 2005 का संदर्भ दिया है,

जिसकी प्रति उन्होंने संलग्न की है और जिस पर उन्होंने जानकारी चाही है । इसलिए वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता को दिनांक 20 अक्टूबर 2005 एवं 25 अक्टूबर 2005 के आवेदन पत्र में 02 एवं 03 बिन्दु दिए गए हैं, उस पर जानकारी चाही है।

11. सबसे पहले मैं दिनांक 25.10.2005 के आवेदन पत्र जिसमें 3 बिन्दु उल्लेखित किए हैं, उनका विश्लेषण करना चाहता हूँ । इस आवेदन पत्र में अपीलकर्ता आवेदक ने सर्वश्री अरूण जैन, भूपेन्द्र बेगड़ एवं मनोज राजवानी के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करने के लिये आयुक्त नगर पालिका निगम को लिखा है और जो 3 बिन्दु उल्लेखित किए हैं, उनमें कार्यवाही के लिए कारण दिए गए हैं । स्पष्ट है कि इस आवेदन पत्र पर कोई जानकारी अपीलकर्ता ने नहीं मांगी है केवल उन्होंने 3 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण रजिस्टर्ड करने के लिए निवेदन किया है । अतः यह आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि इसमें कोई सूचना अपीलकर्ता ने नहीं मांगी है ।

12. अब मैं अपीलकर्ता के उस आवेदन पत्र जो दिनांक 20.10.2005 को दिया गया था, उसके विषय पर यह देखना चाहता हूँ कि नगर पालिका निगम ने अपीलकर्ता को जानकारी प्रदान की है अथवा नहीं ? इस आवेदन पत्र में अपीलकर्ता आवेदक ने यह जानकारी चाही थी कि नगर पालिका निगम के कार्यालय से दिनांक 8.7.04 को प्राप्त प्रमाणित प्रति संलग्न क्र0 1 एवं जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन से दिनांक 31.7.04 को प्राप्त प्रमाणित प्रति, इन्हीं दो में से कौन सी प्रति सही है? इस बिन्दु का स्पष्ट उत्तर लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम ने दिया है कि जो न्यायालय में प्रति एक्जीबिट की गई है, वह सही है । इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका निगम ने इस विषय पर पूरी जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान कर दी थी, जो उन्होंने लेने से इंकार कर दिया था। इसी आवेदन पत्र में उन्होंने यह जानकारी चाही है कि नगर पालिका निगम के भवन अधिकारी/कर्मचारी सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं ? और क्या सार्वजनिक रास्ते पर किए गए निर्माण पर नगर पालिका निगम विधि अनुसार आपत्ति के बावजूद समझौता कर सकताा है ? इस प्रश्न का भी उत्तर नगर पालिक निगम ने दिया है और अपीलकर्ता को सूचित किया है कि यह नहीं किया जा सकता है और इसकी जानकारी अपीलकर्ता को दी थी, जो उन्होंने लेने से इंकार कर दिया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है, वह उन्हें प्रदान कर दी गयी है, यद्यपि अपीलकर्ता ने उन्हें लेने से इंकार कर दिया है । जानकारी प्रदान करने के साथ ही लोक सूचना अधिकारी का जानकारी प्रदान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है । अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
दिनांक 10.4.2006

म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

अपील क्र0 ए–23/रासूआ/22/भोपाल/2006

श्री व्ही0एल0खरे, अपीलकर्ता
ई–8/102, वसंत कुंज,
अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म0प्र0)

विरूद्ध

अपीलीय अधिकारी एवं
सचिव
म0प्र0शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
भोपाल (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 01 अप्रेल 2006)

श्री व्ही0एल0खरे (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, म0प्र0शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2005 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

2. अपीलकर्ता ने विशेष पुलिस स्थापना ग्वालियर के अपराध क्र0 22/01 में चाही गई अभियोजन स्वीकृति से संबंधित विभागीय नस्ती के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, जो उसे प्रदान नहीं की गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता के पुत्र श्री संदीप खरे के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना के अपराध क्र0 22/01 धारा 7, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग में प्राप्त हुआ था । इस प्रस्ताव पर विधि विभाग ने दिनांक 26.5.2004 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को नस्ती का अवलोकन करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय इस आधार पर लिया है कि श्री संदीप खरे के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही जारी है। यदि अपीलकर्ता को विभागीय नस्ती का निरीक्षण कराया जाता है और यदि इस निरीक्षण के आधार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो वह अभियोजन के प्रकरण में बाधक हो सकती है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम

अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के प्रावधानों के अन्तर्गत अवलोकन की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है ।

4. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपीलकर्ता के अपील ज्ञापन पर प्रतिवेदन देने की सूचना दी गई थी । उन्हें मौखिक सुनवाई के समय अपना पक्ष प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया था । लोक सूचना अधिकारी संबंधित नस्ती के साथ सुनवाई के समय उपस्थित हुए। इस प्रकरण में दिनांक 21 मार्च 2006 एवं 29 मार्च 2006 को सुनवाई की गई।

5. प्रकरण में निर्णय के लिए मुख्य बिन्दु यह है कि क्या उन प्रकरणों में, जिनमें अभियोजन के लिए शासन की कोई स्वीकृति आवश्यक है उनमें अभियुक्त या किसी अन्य नागरिक को संबंधित नस्ती के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती है, और क्या इस प्रकार के प्रकरणों में धारा 8(1)(एच) की सुरक्षा संबंधित लोक प्राधिकारी को प्राप्त है या नहीं प्राप्त है । यह प्रकरण सामान्य अभियोजन का प्रकरण न होकर एक ऐसा प्रकरण है जिसमें अभियोजन की कार्यवाही बिना शासन की स्वीकृति के नहीं की जा सकती है । यह स्वीकृति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अन्तर्गत आवश्यक है और यदि यह स्वीकृति किसी प्रकरण में जिसमें यह धारा लागू होती है, नहीं दी जाती है तो अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत यह सुरक्षा उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जो किसी अपराध के घटने के समय राज्य शासन की सेवा में कार्यरत है और ऐसे लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं जिन्हें निकालने की कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जाती है । यह भी आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जिस समय अपराध घटित हुआ है उस समय वह सरकारी कार्य कर रहा हो । स्पष्टतः इस प्रकार की सुरक्षा लोक सेवक या उन सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है जो केवल राज्य शासन के आदेश के द्वारा ही नियुक्ति से हटाए जा सकते हैं । यह अन्य लोक सेवक को उपलब्ध नहीं है । संबंधित लोक सेवक घटना के घटने के समय राज्य शासन के कार्य में कार्यरत था अथवा नहीं था, इसका निर्णय राज्य शासन ही ले सकती है, अन्य व्यक्ति को लेने का अधिकार नहीं है और यदि राज्य शासन का यह निर्णय होता है कि ऐसे प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए तो प्रदान की जाती है ।

6. लोक सेवक के प्रकरणों में इस प्रकार से केवल यही पर्याप्त नहीं है कि अपराध के संबंध में अनुसंधान की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसे स्वीकृति राज्य शासन की अभियोजन करने के लिए मिले । वस्तुतः यह स्थिति अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने और न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने के पूर्व की है । यद्यपि यह कार्यवाही अभियोजन से संबंधित है लेकिन लोक सेवक के संबंध में राज्य शासन की अनुमति की अहम भूमिका होती है । यह देखा गया है कि लोक सेवक द्वारा जब अपराध घटित होता है और शासन की अनुमति की आवश्यकता होती है तो किन्हीं प्रकरणों में अनुमति प्रदाय की जाती है और किन्हीं प्रकरणों में अनुमति नहीं दी जाती है । यह भी देखा गया है कि किन्हीं प्रकरणों में

अनुमति नहीं देने का निर्णय होने के कुछ अंतराल के बाद अनुमति दे दी जाती है या अनुमति देने के बाद कुछ समय के उपरांत अनुमति वापस ले ली जाती है । इस प्रकार के प्रकरणों में नागरिक को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि किन आधार पर अनुमति दी गई है अथवा किन आधार पर अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है अथवा किन आधार पर अनुमति देने या नहीं देने के निर्णय का पुनरावलोकन किया गया है । अधिनियम की धारा 8(2) में इसका स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 अथवा धारा 8(1) में दिए गए प्रावधान को देखते हुए यदि लोक हित सूचना के प्रकटीकरण से सुरक्षित हित की तुलना में अधिक भारी पड़ता है तो लोक प्राधिकारी पर धारा 8(1) के प्रावधान बंधनकारी नहीं है। मैं समझता हॅू कि इस प्रकार के प्रकरणों जिनमें अभियोजन की स्वीकृति या अभियोजन स्वीकृति नहीं देने या पुनरावलोकन करने की स्थिति निर्मित होती है तो नागरिक को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि ऐसे प्रकरणों में लोक हित अधिक भारी पड़ता है । इस प्रकरण में भी नस्ती के अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट पाया है कि एक बार एक प्रकार का निर्णय दिए जाने के बाद पुनः उसका पुनरावलोकन हुआ है और अनुमति दी गई है ।

7. यहॉ यह कहना आवश्यक है कि अभियोजन के संबंध में दी गई अनुमति और अनुमति नहीं दिए जाने का कोई भी प्रभाव अभियोजन में नहीं पड़ता है । यदि किन्हीं कारणों से अभियोजन देने या नहीं देने का निर्णय लिया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी न्यायालय को, व्यक्ति एवं नागरिक तथा अभियुक्त को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है । उल्लेखनीय है कि सामान्य नागरिक को यदि वह लोक सेवक नहीं होता है तो अभियोजन के संबंध में जो प्रपत्र है, उन्हें अभियोजन प्रारंभ करने के पूर्व न्यायालयीन व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक है जिससे उसके आधार पर वह अपना संरक्षण कर सके । लोक सेवक के अभियोजन का प्रश्न लोक सेवक द्वारा सरकारी कार्यो को करते समय संरक्षण से संबंधित है और ऐसी स्थिति में नागरिकों को यह अधिकार है कि वह यह जाने कि शासन के द्वारा उन्हें संरक्षण किस आधार पर दिया गया है या नहीं दिया गया है। अतः मैं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के मत से सहमत नहीं हॅू । अपीलकर्ता को नस्ती का अवलोकन करने का अधिकार है और उसे यह नस्ती दिखाई जानी चाहिए।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
01 अप्रेल 2006

म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

<u>अपील क0 ए–36 / रासूआ / 10–3–1 / भिण्ड / 2006</u>

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपीलकर्ता
एडवोकेट,
जिला न्यायालय भिण्ड
70, हाउसिंग कॉलोनी,
भिण्ड (म0प्र0)

<u>विरूद्ध</u>

1 लोक सूचना अधिकारी
म0प्र0मध्य क्षेत्र विद्युत वित0कं0
संभाग भिण्ड (म0प्र0)

2. अपीलीय अधिकारी
म0प्र0मध्य क्षेत्र विद्युत वित0कं0
संभाग भिण्ड (म0प्र0)

<u>आदेश</u>

(दिनांक 25 मार्च 2006)

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (अपीलकर्ता) ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 19(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 22.10.2005 को एक आवेदन पत्र निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए म0प्र0मध्य क्षेत्र विद्युत वित0कं0 संभाग भिण्ड (कम्पनी) में प्रस्तुत किया था :–

1) कार्यपालन यंत्री भिण्ड के कार्यक्षेत्र में म0प्र0राज्य विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरणों की एवं अन्य प्रकरणों की पैरवी हेतु कुल कितने अभिभाषक नियुक्त है?
2) अभी तक कुल कितने प्रकरण म0प्र0रा0वि0मंडल अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये है ?
3) किस अभिभाषक को कितने प्रकरण म0प्र0राज्य विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं?
4) अभिभाषकों के बीच प्रकरण पैरवी हेतु दिए जाने की क्या दिशा–निर्देश हैं?
5) किस अभिभाषक को किस प्रकरण में पैरवी करना है, इस हेतु कोई नियम बनाये गयें हैं ?
6) यदि नियमानुसार अभिभाषकों में प्रकरण का आवंटन नहीं किया गया है तो उस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

7) कितने प्रकरणों में धारा 126 वि0 अधिनियम 2003 के अन्ततर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्देश अभिभाषक द्वारा दिया गया है ।
8) यदि अभिभाषक द्वारा 126 म0प्र0रा0वि0अधिनियम 2003 की कार्यवाही की कमी के संबंध में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं बताया गया है तो ऐसे प्रकरणों में अभिभाषक को हटाने की क्या कार्यवाही की गयी ?
9) धारा 126(म0प्र0विद्युत अधिनियम) कार्यवाही के अभाव में उपभोक्ता द्वारा बिल जमा करने का अवसर न देते हुये अकारण ऐसे कितने प्रकरणों में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये गये है कुल कितने मेहनताना का भुगतान किया गया ।
10) किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के द्वारा गलत अभियोग पत्र प्रस्तुत कराये गये उनके विभाग को हुये नुकसान के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ।

2. उक्त आवेदन पत्र पर कम्पनी के लोक सूचना अधिकारी भिण्ड ने दिनांक 10 नवम्बर 2005 को आदेश पारित किया और मांगी गयी जानकारी देने से इंकार किया है , उन्होंने प्रत्येक बिन्दु के संबंध में कारण सहित आदेश पारित किया है । इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील प्रस्तुत की थी । यह अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई है और इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश दिनांक 22.12.2005 को पारित किए हैं ।

3. अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है । इस प्रकरण में दिनांक 17.3.2006 को ग्वालियर में सुनवाई की गई, जिसकी सूचना अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को दी गई थी । सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए । लोक सूचना अधिकारी श्री पी0के0वार्ष्णेय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री आर0के0सिंह उपस्थित थे, जिन्हें सुना गया ।

4. अपीलीय अधिकारी ने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है उन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । यह अभिभाषकों की नियुक्ति एवं कार्यवितरण, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में विद्युत चार्जेस का निर्धारण एवं अन्य विषय से संबंधित बिन्दु हैं। बिन्दु क्र0 1, 3, 4, 5 और 6 अभिभाषकों की नियुक्ति एवं कार्य वितरण से संबंधित है । लोक सूचना अधिकारी ने इन बिन्दुओं के संबंध में लेख किया है कि कम्पनी योग्य अभिभाषकों की नियुक्ति करती है और यह कम्पनी के विवेक का विषय है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिन्दुवार निर्णय न देते हुए यह उल्लेखित किया है कि अपीलकर्ता के आवेदन पत्र से यह दर्शित नहीं होता है कि अपीलकर्ता द्वारा चाही गयी जानकारी जनमानस के हितार्थ है क्योंकि अपीलकर्ता ने जो जानकारी चाही है वह विद्युत वितरण कम्पनी भिण्ड के न्यायालयीन प्रकरणों में अभिभाषक नियुक्ति एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संचालित प्रकरणों की जानकारी के संबंध में है।

5. अपीलकर्ता ने प्रथम बिन्दु में यह जानकारी चाही है कि लोक सूचना अधिकारी के विभाग में म0प्र0राज्य विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरणों की एवं अन्य प्रकरणों की पैरवी हेतु कुल कितने अभिभाषक नियुक्त है । बिन्दु क्र0 3 के

संबंध में यह जानकारी मांगी है कि किस अभिभाषक को कितने प्रकरण म0प्र0राज्य विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए दिए गए हैं । बिन्दु क्र0 4 में यह जानकारी मांगी गयी है कि अभिभाषकों के बीच प्रकरण पैरवी हेतु दिए जाने के क्या दिशा–निर्देश हैं । बिन्दु क्र0 5 अभिभाषकों को प्रकरण देने के नियमों से संबंधित है । बिन्दु क्र0 6 में किस अभिभाषक को किस प्रकरण में पैरवी करना है, इस हेतु क्या कोई नियम बनाये गयें हैं । यदि नियमानुसार अभिभाषकों को प्रकरण का आवंटन नहीं किया गया है तो उस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है । स्पष्टतः इन पांचों बिन्दुओं में शिकायतकर्ता ने म0प्र0मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कं0 में अभिभाषक की नियुक्ति एवं कार्य वितरण की व्यवस्था के संबंध में कम्पनी ने जो निर्देश या नियम बनाए गए हैं, उसकी जानकारी चाही है ।

6. लोक सूचना अधिकारी का यह कहना कि कम्पनी योग्य अभिभाषकों की नियुक्ति करती है और यह कम्पनी के विवेक का विषय है, पर्याप्त नहीं है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह कहना है कि इस प्रकार की जानकारी जनहितार्थ नहीं है, सही नहीं है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की सूचना या जानकारी, किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि जो जानकारी मांगी गई है उसमें उसका निजी हित सन्निहित हो । अभिभाषकों की नियुक्ति एवं कार्य वितरण लोक हित का विषय है और इसकी व्यवस्था नियमों या निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, जिसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए । यदि कम्पनी ने इस संबंध में कोई नियम या निर्देश प्रसारित किए हैं तो उनकी प्रति अपीलकर्ता को प्रदान की जाए और यदि कोई नियम या निर्देश नहीं बनाये गये हैं तो प्रत्येक अभिभाषक की नियुक्ति से संबंधित फाईल, निर्धारित फीस जमा करने के बाद अपीलकर्ता को दिखाई जाए । यदि अपीलकर्ता संबंधित फाईल से किसी प्रपत्र की कॉपी चाहते हैं तो उनसे नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्रदान की जाए ।

7. बिन्दु क्र0 7, 8 और 9 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से संबंधित है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 उन स्थानों के निर्धारण (असिसमेंट) के संबंध में है जहॉ पर विद्युत का उपयोग अनाधिकृत रूप से होता है । अपीलकर्ता ने जानकारी चाही है कि धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के निर्देश कितने प्रकरणों में अभिभाषकों को दिए गए हैं। बिन्दु क्र0 7 में यह जानकारी चाही गई है कि कितने प्रकरणों में विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश अभिभाषक द्वारा दिये गये हैं । बिन्दु क्र0 8 में यह जानकारी चाही गई है कि यदि अभिभाषक द्वारा धारा 126 की कार्यवाही की कमी के संबंध में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं बताया गया है तो ऐसे प्रकरणों में अभिभाषक को हटाने की क्या कार्यवाही की गई। बिन्दु क्र0 9 में यह जानकारी चाही गई है कि धारा 126 की कार्यवाही के अभाव में उपभोक्ता द्वारा बिल जमा करने का अवसर न देते हुए अकारण ऐसे कितने प्रकरणों में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए व कुल कितने मेहनताने का भुगतान किया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 निर्धारण के संबंध में है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उन प्रकरणों में

विद्युत राशि का निर्धारण किया जाता है जिनमें विद्युत का अनाधिकृत उपयोग पाया जाता है। यह कम्पनी की आंतरिक प्रक्रिया है और यह पूरी प्रक्रिया धारा 126 में दी गई है । अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है उसमें पूरी जानकारी को संकलित करने का कार्य निहित है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत सूचना की जो परिभाषा दी गई है उसमें लोक प्राधिकारी के लिये यह निर्देश नहीं है कि लोक प्राधिकारी किसी सूचना को संकलित करके, उस प्रारूप में आवेदक को प्रदान करे, जिस प्रारूप में आवेदक ने चाहा है । अतः अपीलकर्ता किसी प्रकरण में जानकारी चाहते हैं तो उस प्रकरण का उल्लेख करके, उसके रिकार्ड का अवलोकन कर सकते हैं और उसमें जो प्रपत्र उपलब्ध हैं, उसमें से किसी की भी प्रति वह चाहते है तो नियमानुसार शुल्क देकर, प्राप्त कर सकते हैं । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 में किसी प्रकार के अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है ।

8. अपीलकर्ता ने बिन्दु क0 2 में जानकारी चाही है कि विद्युत अधिनियम के तहत कुल कितने प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि लोक प्राधिकारी का यह कार्य नहीं है कि वह पूरी जानकारी संकलित करके किसी नागरिक को प्रदान करे। इसलिए जिस प्रकरण की जानकारी अपीलकर्ता को चाहिए उसका स्पष्ट उल्लेख करके, उस प्रकरण का अवलोकन कर सकते हैं और उसमें निहित जानकारी की प्रति प्राप्त कर सकते हैं । यदि इस संबंध में कोई, त्रैमासिक या वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है तो उसकी प्रति शुल्क देने पर उपलब्ध करायी जा सकती है ।

9. बिन्दु क0 10 गलत अभियोग पत्र प्रस्तुत करने और उससे विभाग को हुए नुकसान के संबंध में कार्यवाही किए जाने के संबंध में है । स्पष्टतः यह जानकारी प्रश्न के रूप में है । अपीलकर्ता को यदि किसी प्रकरण में गलत अभियोग पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करके, उसकी फाईल देख सकते हैं और जिस कागजात की आवश्यकता हो, वह शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं ।

10. उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निराकरण किया जाता है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
25 मार्च 2006